न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 54/2016

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी, पंचायत समिति बाली		1 सरपंच ग्राम पंचायत पेरवा 2 श्री श्रवणसिंह पुत्र छत्तरसिंह जाति राजपूत निवासी भागली तहसील पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. पंचायत प्रसार अधिकारी
2. श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक 18/12/2017

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा मिसल संख्या 5/18.06.2007 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.10.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 20.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

पंचायत प्रसार अधिकारी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 को सरपंच ग्राम पंचायत पेरवा के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (2) के तहत पट्टा संख्या 3 दिनांक 20.12.2009 क्षैत्रफल 2449 वर्गफीट का जारी किया गया है। उक्त भूमि पर निर्मात भवन एवं पट्टे में चर्तुदर्शी नाप के अनुसार पट्टा उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर आम रास्ते में आ रहा है, जिससे रास्ता बाधित हो रहा है, अतः पट्टा निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 20.12.2009 को निरस्त करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है। पट्टा प्राप्त करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर विधिवत मिसल कायम करते हुए सचिव को मौका निरीक्षण के आदेश दिये गये। सचिव द्वारा जो मौका निरीक्षण किया गया, उसमें उक्त वांछित भूमि रास्ते मे नही दर्शाई है। इसके पश्चात तीन वार्ड पंचो को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसमें भी रास्ते बाबत कोई तथ्य अंकित नही किया है। इसके पश्चात जो बयान कलमबद्ध हुए है, उनमें भी रास्ते बाबत कोई तथ्य अंकित नही किये गये है। अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर अप्रार्थी की अनुपस्थिति में बिना कोई नाप चौक किये, विकास अधिकारी द्वारा हस्तगत निगरानी प्रस्तुत की है।

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निगरानी के साथ जो मौका जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें मकान को पूर्व से पश्चिम की ओर 3 फीट बाहर तथा पूवी भुजा 4 फीट उत्तर की ओर बाहर आना बताया, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी नही की है। यदि पट्टे से अधिक भूमि पर निर्माण हुआ है, तो उसे हटाने हेतु विधिक प्रक्रिया नियमों में विद्यमान है, इस आधार पर प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया को दूषित नही माना जा सकता है। निगरानी के अन्तर्गत इस न्यायालय को पट्टा जारी करने की प्रक्रिया, विधिकता की जांच करने के क्षैत्राधिकार है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा मिसल संख्या 5/18.06.2007 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.10.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 20.12.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 2 श्रवणसिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत पेरवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत अपने कब्जासुदा भूखण्ड मय मकान का पट्टा जारी करने का निवेदन किया। जिस पर ग्राम पंचायत पेरवा द्वारा दिनांक 18.06.2007 को मिसल कायम करने के आदेश दिये। इसके पश्चात दिनांक 20.07.2009 को मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों को मनोनीत किया गया। उक्त आदेश की पालना में तीन पंचो द्वारा मौका जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें वांछित भूमि पर प्रार्थी का पुश्तैनी मकान होने से पट्टा बनाने की सिफारिश की है। इसके पश्चात आदेशिका दिनांक 05.10.2009 को पंचायत सदस्यों की रिपोर्ट पेश होने से पट्टा जारी करने का अस्थाई निर्णय किया जाकर नियम 148 के तहत एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश की पालना में जारी नोटिस की पुस्त पर दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर है। इसके पश्चात निर्धारित अवधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नही होने पर दिनांक 20.10.2009 को नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किये।

हस्तगत प्रकरण में मुख्य रूप से प्रार्थी द्वारा यह आधार लिया गया है कि उक्त पट्टा रास्ते की भूमि में जारी किया गया है, जिसमें उत्तरी भूजा पूर्व से पश्चिम की ओर नापने पर 48 फीट पाया जाना अंकित किया। इसका जैर निगरानी पट्टे के पडौस एवं माप से अंकित तुलनात्मक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टे की उत्तरी भुजा पूर्व से पश्चिम की ओर 45 फीट है तथा इसके पश्चात समुन्द्रसिंह पुत्र छत्तरसिंह अंकित है। इस अनुसार यदि उत्तरी भुजा को पूर्व से पश्चिम की ओर नाप किया जाता है एवं तथाकथित रूप से 3 फीट बाहर भी हो तो वह समुन्द्रसिंह की भूमि में जाता है, जो किसी भी रूप में रास्ते में नही आता। इसके पश्चात यह आधार लिया गया है कि दक्षिण भुजा 62 फीट नापने पर निर्मित मकान से 6 फीट पूर्व की ओर रास्ते में आ रही है तथा पूर्वी भुजा 63 फीट के स्थान पर निर्मित मकान से 4 फीट उत्तर की ओर रास्ते में आ रही है। जैर निगरानी पट्टे की दक्षिणी भुजा 62 फीट एवं पूर्वी भुजा 63 फीट होना अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर मकान कम क्षैत्रफल में बना है तथा पट्टा कब्जा अनुसार दिया गया है। सम्पूर्ण जांच प्रतिवेदन में कहीं भी यह स्पष्ट नही

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया गया है कि मौके पर जो मकान निर्मित है, वह कितने क्षैत्रफल का है तथा उसकी चतुदर्शी भुजाओं की स्थिति एवं पट्टे की स्थिति में किस प्रकार से मिलान नही हो रहा है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी। यही सिद्धान्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नारंगीदेवी बनाम जिला कलक्टर भीलवाडा में प्रतिपादित किया है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (ख) के तहत पट्टा जारी किया गया है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर प्रार्थी के पुराने कब्जे को किसी भी रूप में नकारा नही है। तद्नुसार प्रकरण राजस्थान पंचायती राज नियम 157 (ख) की परिधि में आने से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत पाया जाता है। चूंकि जहां तक पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियागत त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा मिसल संख्या 5/18.06.2007 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.10.2009 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 20.12.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत पेरवा का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18/12/2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर, पाली